

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2015/वैशाख 16, 1937

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2015/VAISAKHA 16, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

सा.का.नि. 364(अ).—कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए, प्रारूप नियम जिसे केंद्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है ; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, जो उपर्युक्त अवधि के समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (विस्फोटक), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा सं. 259, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 या उसकी प्रति singh.shailen@nic.in को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987 की पहली अनुसूची में अनुच्छेद सं. 2 के सामने, "अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी" शीर्ष के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--
"जिला मजिस्ट्रेट"

[फा. सं. 2(2)2014-ईएक्सपीएलएस]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में, सं. सा.का.नि. 105(अ), तारीख 18 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2015

G.S.R. 364(E).—The draft rules to amend the Calcium Carbide Rules, 1987, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) is hereby published as required by sub-section (2) of section 29 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of this notification is made available to the public;

Objections or suggestions received from any person with respect to the said draft before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Explosives), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 259, Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011 or e-mail at singh.shailen@nic.in

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Calcium Carbide (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Calcium Carbide Rules, 1987, in the first Schedule, against Article number 2, in column 4 under the heading "Authority empowered to grant licence" for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:--
"District Magistrate".

[F. No. 2(2)2014-Expls.]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 105(E), dated 18th February, 1987.